न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील संख्या– एल आर ए/111/2014

उनवान

1. मोटागर पिता सूरज गुसाई निवासी लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 40/2012 निर्णय दिनांक 29.5.2014

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 14.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विपक्षी/आवंटी को ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2003 में रकबा 0.08 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.18 हेक्टेयर भूमि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में आवंटन हुई थी। मौके पर आवंटित भूमि आराजी नम्बर 2003 में एकतरफ तालाब की पाल है तथा पाल के सहारे–सहारे खेतां पर जाने का पुराना परम्परागत रास्ता है जिससे आवंटित भूमि निरस्त योग्य है। यह है कि आवंटितसुदा आराजी नम्बर 2081 पर वर्तमान में मौके पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्थर की खान है। विपक्षी/आवंटी को आवंटित भूमि कृषि योग्य नहीं होने से आवंटन निरस्त कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ग्राम लसाडिया में अपीलार्थी/आवंटी को आराजी नम्बर 2003 में से रकबा 0.08 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2081 में से 0.10 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.18 हेक्टेयर का आवंटन हुआ था। जिस पर अपीलार्थी का आवंटन से ही लगातार कब्जाकाश्त है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी गलत तथ्य अंकित कर अपीलार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया । प्रत्यर्थी ने आराजी नम्बर 2003 में एक तरफ तालाब की पाल होना अंकित किया है तथा पाल के सहारे खेतो में जाने का रास्ता होना अंकित किया है तथा आराजी नम्बर 2081 बाबत यह तथ्य अंकित किया था कि मौके पर वर्तमान में पत्थर की खान है। इस बाबत पटवारी हल्का ने दिनांक 12.4.2012 को मौका रिपोर्ट तैयार की। जिसे आधार मानकर अपीलार्थी को किये गये आवंटन को अपीलाधीन निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी 2003 में कोई रास्ता नहीं है तथा आराजी नम्बर 2081 में कोई पत्थर की खान नही है। दोनों ही आराजी पर अपीलार्थी द्वारा काश्त की जा रही है तथा पूर्व में भी काश्त की जाती रही है। इस बाबत अपीलार्थी को धारा 91 के नोटिस भी जारी किये जाते रहे है। हाल जमाबंदी में भी भूमि की किस्म में आराजी नम्बर 2081 में भूमि की किस्म बंजड तथा आराजी नम्बर 2003 की किस्म भी बंजड अंकित है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि रास्ते के रूप में काम आना व पत्थर की खान होना कतई साबित नहीं होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पर न तो अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं एवं न ही किसी मौतबिर के हस्ताक्षर ही है। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट रंजिश के चलते बनाई है जो गलत होकर आधारहीन है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

5. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त नही की है । अपीलार्थी ने इस बाबत कोई जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना में वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं की है। मौके पर काश्त किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। मौके पर पाल व रास्ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी को मोजा लसाडिया की आराजी नम्बर 2003 में रकबा 0.08 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.18 हेक्टेयर भूमि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में आवंटन हुई थी। अपीलार्थी का कथन है कि आवंटन के समय से वादग्रस्त भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है परन्तु इसके सबंध में अपीलार्थी ने कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होने पर कब्जा किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही की गई है। इससे अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

7. पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया है कि'' आराजी नम्बर 2003 मकें एकतरफ तालाब की पाल है तथा पाल के सहारे–सहारे खेतों की तरफ जान का वर्षो पुराना रास्ता है जो राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है। आराजी नम्बर 2081 में मौके पर पत्थर की खान है।'' पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई समुचित कारण अपीलार्थी ने नहीं दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 6.1.2011 की रिपोर्ट भी संलग्न है। उक्त रिपोर्ट यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बरों की सुपुर्दगी आवंटन के पश्चात अपीलार्थी को नहीं की गई है। जमाबंदी संवत 2068–2071 में भी आराजी नम्बर 2003 के नीचे ''पाल निचला'' अंकित है। चूंकि आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना में वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त नहीं की गई है एवं मौके पर काश्त किये जाने का कोई प्रमाण भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 के अवलोकन से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 2003 में एक तरफ तालाब की पाल है तथा पाल के सहारे खेतो में जाने का रास्ता है तथा आराजी नम्बर 2081 में मौके पर वर्तमान में पत्थर की खान है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह गलत कैसे बनाई है इसका काई समुचित कारण अपीलार्थी ने नहीं दर्शाया है। यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्र दिनांक 6.1.2011 जो कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया है जिसमें उल्लेखित है कि आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग में आवंटनशुदा भूमि में सुपुर्दगी नामा अथवा नियमानुकूल आवंटन न होने पर आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव भिजवाएं। इस पत्र के उपरान्त पटवारी रिपोर्ट भिजवाई गई है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा आवंटन के उपरान्त काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को काश्त करने की शर्त पर ही आवंटन किया गया था परन्तु अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात काश्त नहीं की है। मौके पर भूमि का उपयोग काश्त के लिए नहीं किया जाकर मौके पर पत्थर की खान होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पूर्व कोई मौका रिपोर्ट नही ली गई है न ही आवंटन का प्रारूप पत्र भरा गया है। जल्दबाजी में आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2014 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा